



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

NO. 13/10

सं. 689]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010/चैत्र 19, 1932

No. 689]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2010/CHAITRA 19, 1932

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

का.आ. 819(अ).—वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के खंड 14 के उप-खण्ड (7) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एतद्द्वारा एक वक्फ बोर्ड की स्थापना करती है और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को इसके सदस्यों के रूप में, इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नियुक्त करती है।

क्रम सं.	नाम	वर्ग
1.	श्री मंसूर अली, मकान नं. 3060, सेक्टर-20-डी, चंडीगढ़	वक्फ अधिनियम, 1995 का खंड 14(1)(ख)(iii)
2.	श्री मोहम्मद सादिक शेख, मकान नं. 1035, सेक्टर-29-बी, चंडीगढ़	वक्फ अधिनियम, 1995 का खंड 14(1)(ग)
3.	श्री शकील अहमद कासमी, मकान नं. 1039, मोरी गेट, मनीमाजरा, चंडीगढ़	वक्फ अधिनियम, 1995 का खंड 14(1)(घ)
4.	श्री मोहम्मद फिरोज खान, मकान नं. 3315-ए, सेक्टर-24-डी, चंडीगढ़	वक्फ अधिनियम, 1995 का खंड 14(1)(ङ)

[फा. सं. 4/1/2009-वक्फ]

ई. आर. सोलोमन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2010

S.O. 819(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 14 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby establishes a Wakf Board for the Union Territory of Chandigarh and appoints the following persons as its members, with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Sl. No.	Name	Category
1.	Shri Mansur Ali, House No. 3060, Sector-20-D, Chandigarh	Section 14(1)(b)(iii) of the Wakf Act, 1995
2.	Shri Mohd. Sadiq Sheikh, House No. 1035, Sector-29-B, Chandigarh	Section 14(1)(c) of the Wakf Act, 1995
3.	Shri Shakeel Ahmed Quasmi, House No. 1039, Mori Gate, Manimajra, Chandigarh	Section 14(1)(d) of the Wakf Act, 1995
4.	Shri Mohd. Firoz Khan, House No. 3315-A, Sector-24-D, Chandigarh	Section 14(1)(e) of the Wakf Act, 1995

[F. No. 4/1/2009- Wakf]

E. R. SOLOMON, Jt. Secy.